न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **384/2018** दायर दिनाँक **27.12.2018**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. प्रितमसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति–राजपूत, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह, 2. विरेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 3. लोकेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 4. महेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 5. नीलम कँवर पुत्री विक्रमसिंह, 6. आनन्दकँवर पुत्री विक्रमसिंह, 7. मुकेशकँवर पुत्री विक्रमसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्रसिंह, वकील, वादी।
2. श्री जितेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 07 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 तक के पुश्तेनी खेत खसरा संख्या 493 रकबा 29.15 बीघा तथा खसरा संख्या 499 रकबा 53.04 बीघा भूमि सरहद खरेश में अवस्थित है। सरहद खरेश में खसरा नम्बर 493 रकबा 29.15 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है जबकि सरहद खरेश में खसरा नम्बर 499 रकबा 53.04 बीघा में से रकबा 13.04 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 01 विक्रमसिंह वादी व प्रतिवादी सं0 02 से 07 तक के पिता है। वाद पत्र के साथ में खतौनियों की नकलें प्रस्तुत हैं।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 से 07 तक ने आपसी सुझबुझ व सहमति से पेत्रृक खेतायों का बंटवारा अन्य पैत्रृक खेतों को साथ करके जैर वाद खेत खसरा संख्या 493 रकबा 29.15 बीघा तथा खसरा संख्या 499 रकबा 53.04 बीघा भूमि सरहंद खरेश का वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 04 के वंट व हक अधिकार में रखे जाकर मौके पर इन खेतायों पर वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 04 को कब्जा संभला दिया है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 से 04 के हक हिस्से व बंट में आये खेतों की खातेदारी में प्रतिवादी सं0 01 का नाम दर्ज होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधाओं का सामना करना पडता है। इसलिए वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र लाजमी होने से वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत है।

वाद हैतुक बहक वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 04 तक विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण मौजा खरेश में स्थित जैर वाद खेताय वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 से 07 तक के पेत्रृक होने से तथा उक्त खेतों का बंटवारा अन्य पैतृक खेतों के साथ होकर मौके पर जैर वाद खेताय पर वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 04 तक की खातेदारी दर्ज होना लाजमी होने से तथा उक्त बाबत प्रतिवादी सं0 09 से निवेदन करने के पश्चात उक्त खेतायों की खतौनी बंटवारानुसार करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने का कहने से वाद कारण निरन्तर अदालत हाजा के उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि

सरहद खरेश में खेत खसरा संख्या 493 रकबा 29.15 बीघा सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा संख्या 499 रकबा 53.04 बीघा में से रकबा 13.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के नाम से घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 07 का नाम हटाया जावे। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के हक में तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 09 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 08 व 09 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की तरफ से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 384/2018
दायर दिनाँक 27.12.2018, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
प्रितम सिंह बनाम विक्रम सिंह, वगैरा।

इकबालिया जवाब पेश हुआ। इकबालिया जवाब अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद खरेश में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा संख्या 493 रकबा 29.15 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा संख्या 499 रकबा 53.14 बीघा में से रकबा 13.04 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 384/2018 दायर दिनाँक 27.12.2018

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. प्रितमसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति—राजपूत, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।		1. विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह, 2. विरेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 3. लोकेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 4. महेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह, 5. नीलम कँवर पुत्री विक्रमसिंह, 6. आनन्दकँवर पुत्री विक्रमसिंह, 7. मुकेशकँवर पुत्री विक्रमसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 15.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह, वकील, वादी व श्री जितेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 07 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद खरेश में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः—

1. खसरा संख्या 493 रकबा 29.15 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा संख्या 499 रकबा 53.14 बीघा में से रकबा 13.04 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 05 ता 07 का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः 384-2018 / रीडर / 2019 / 55 दिनांक 16/1/19

प्रेषितः-

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः -निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रितमसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति--राजपूत, निवासी--खरेश, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह, जाति--राजपूत, निवासी--खरेश, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner